न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।

परिवाद सं0–3730/2019

श्रीमती सुशीला बनाम सन्त कुमार आदि।

धारा–323,354,392,452,504,506 भा0दं0सं0
थाना–मोहमदी, जिला–खीरी।

27.09.2022

अभियुक्त अमित कुमार दीक्षित उर्फ अमितेश पुत्र श्विनाथ नि0 ग्राम वलमियां बड़खर, थाना मोहम्मदी खीरी की ओर से परिवाद सं0–3730/2019 धारा–323, 354, 392, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना मोहम्मदी, जिला–खीरी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह निर्दोष है। गॉव की पार्टीबन्दी व बुराई के कारण उसे झूठा व गलत फंसाया गया है। वह सीधा–सादा कानून को मानने वाला व्यक्ति है। उसका कोइ आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत की सुविधा का दुरुपयोग नहीं करेगा। न्यायालय से अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से दर्शित है कि अभियुक्त उक्त अपराध में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त पर परिवादिनी के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने, मारपीट करने, गाली–गलौज देने तथा जान से मारने की धमकी आदि देने का अभियोग है। अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्त ने आज स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। सह अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। इस बावत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Satender kumar Antil versus Central Bureau of Investigation and Anr. {SLP (Crl.) No(s). 5191/2021 order dated 07.10.2021}** में दिशा–निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त दिशा–निर्देश तथा आरोप की प्रकृति व दण्ड की अवधि के दृष्टिगत अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त द्वारा मु0 20,000 (बीस हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1– अभियुक्त दौरान विचारण/विवेचना न्यायालय/विवेचक द्वारा तलब किये जाने पर नियत तिथि पर उपस्थित रहेगा।

2– अभियुक्त किसी भी साक्षी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से प्रभावित अथवा प्रताड़ित नहीं करेगा

(रुचि श्रीवास्तव)
यू0पी02193
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।
27.09.2022